

6 लाख बेल जूट है, लेकिन हिसाब आता है 3 लाख 72 हजार बेल का। इधर रा-मैटीरियल की कमी के कारण हमारे उद्योगपति जूट मिल बन्द कर देते हैं। इसके बारे में इन्वैस्टीगेशन होना चाहिये।

स्टाक की इन्वैटरी होनी चाहिये, नहीं तो उद्योगपति स्टॉक को छिपाकर काम बन्द कर देते हैं, जिससे बेकारी बढ़ जाती है। सारे हिन्दुस्तान में जहाँ जहाँ जूट पैदा होता है, वहाँ एक मुश्किल यह है कि एक मीट्रिक टन जूट का 75 परसेंट हिस्सा जूट स्टिक होता है। लेकिन जूट स्टिक का कोई उपयोग नहीं होता। जो कुल उत्पादन होता है उसके 25 परसेंट पर ही दाम लगाया जाता है जिससे जूट के दाम बढ़ जाते हैं। अगर जूट स्टिक का उपयोग हो, तो उसके दाम कम हो सकते हैं। हमारे देश में हर साल करीबन 3 मिलियन टन जूट स्टिक नकारा जाता है।

अगर हम इसका उपयोग करें तो इससे पेपर पल्प, पल्प बोर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा और कितनी ही चीजें बन सकती हैं, जिनको बनाना चाहिये।

जापान में वाटर वीडज के सहारे कितना सामान बनाते हैं। यह वेस्ट चीज है। हमारा जो जूट का वेस्ट है, इसमें से सामान बनाया जाना चाहिये। हमारे खादी प्रमोद्योग की नीति में यह भी आता है—

टु क्रीएट वेलथ आउट आफ वेस्ट जो कुछ बेकार जाता है उसमें से ठाक बनाता है। जूट स्टिक बहुत बड़ा वेस्ट है, इसको देखने के लिए एक समिति बनानी चाहिये।

हमारे यहाँ पर्चेजिंग फंडज की कैपे-सिटी बहुत कम है। इस कारण हमारे सिल्क उद्योग का जो सामान बनता है, उसको लेने वाले बहुत कम हैं। पर्चेजिंग कैपिसिटी बढ़ाने के लिये हमारा कहना यह है कि एग्रो-इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए एग्रीकल्चर बेस्ट अपॉन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज बेस्ट अपॉन एग्रीकल्चर होना चाहिये। हमारे देश की कृषि और उद्योग दोनों को मिलाजुला कर काम होना चाहिए ऐसा न होने से मुश्किल होती है।

जैसा मैंने कहा जूट स्टिक एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है। इसका अगर उपयोग हो, तो उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इन्होंने हाफ-हार्टेड किया है। मेरा कहना यह है कि पूरा प्लानिंग भी नहीं था।

अभी तक हमारे खाने, पहनने, रहने और दवाओं आदि के बारे में कोई प्लानिंग नहीं था—किसी भी क्षेत्र में प्लानिंग नहीं थी। इसका नतीजा यह है कि पूरा बोझ जनता सरकार पर पड़ गया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
First Report

MR. CHAIRMAN: We will now take up Private Members business.

Mr. K. C. Halder may move his motion.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I beg to move.

"That this House do agree with the First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th July, 1977.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th July 1977".

The motion was adopted

15.32 hrs

RESOLUTION RE

SUBVERSION OF DEMOCRATIC
NORMS BY THE FORMER PRIME
MINISTER-Contd.

MR. CHAIRMAN: We shall resume further discussion on the resolution moved by Shri Kamath.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Before we take up Mr. Kamath's Resolution I beg to submit that so far as the Private Members' Business is concerned, only two hours have been allotted for Mr. Kamath's Resolution and I find that there are a large number of amendments which are proposed to be moved. I am therefore afraid that there may not be any time left for my Resolution. I want an assurance from the chair that I will be allowed to move it. I need only five minutes.

MR. CHAIRMAN: The time allotted is two hours, out of which five minutes have already been taken. So the balance is one hour and fifty-five minutes and I think five minutes will be left for you.

SHRI P. K. DEO: I would respectfully submit that Members from various Parties have unanimously agreed to give two hours for Mr. Kamath's Resolution.

MR. CHAIRMAN: Let us proceed: we will see.

SHRI P. K. DEO: I want an assurance from the Chair.

MR. CHAIRMAN: How can I give an assurance?

श्री उग्रसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री कामत ने जो प्रस्ताव रखा है, उस का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने—मैंने, श्री चन्द्रशेखर सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने—इस पर अपने संशोधन दिये हैं, जिन के बारे में हम अपने विचार रखना चाहेंगे। कमेटी ने इस प्रस्ताव के लिए कम समय दिया है। लेकिन यह सदन इस कमेटी से बड़ा है और उसे समय बढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार है। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव के लिए समय बढ़ा दिया जाए, ताकि माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Let us proceed with this first.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): As I said a fortnight ago, it fell to my lot on that day to move this Resolution on the eve of the 2nd Anniversary of the day of imposition of Emergency. The day of the imposition of Emergency two years ago was a day of sorrow and shame and its second anniversary should be observed as a day of repentance by all those who had supported the imposition of Emergency. Both those inside the Congress Party and those outside the Congress Party who had supported the Emergency should observe that day as a day of repentance. I do not know, whether they did that, as a sort of self-introspection and repented and atoned, but no *paschtap* seems to have come. On that day, when the emergency was clamped, there was a strange and tragic coincidence. The emergency was clamped in 1975, the silver jubilee year of the Republic and of the Constitution. It was argued by